

## कार्यालय

फोन/फैक्स नं०-01373-223328  
E-Mail:- dfotons-forest-uk@nic.in  
वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

पत्रांक- 565/12-1

पुरोला, दिनांक,

07/09/2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,  
पुरोला उत्तरकाशी।

विषय-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-244/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला में कमलेश्वर मोटर मार्ग 2.600 कि०मी० निर्माण हेतु 1.825 है० के बदले दुगूने क्षेत्रफल 3.650 है० भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-  
महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक सं०-598/वन भूमि दिनांक 16.05.2019।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वन सिविल सोयम भूमि स्थालुका मध्ये उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग 9(3)ड० खाता सं०-09 के खसरा सं०-1 रक्वा 0.437 है० खसरा सं०-22 रक्वा 2.298 है० खसरा सं०-50 रक्वा 1.128 कुल रक्वा 3.863 की जांच राजस्व उप निरीक्षक गुन्दियाटगांव, सैक्सन ऑफिसर गुन्दियाटगांव, वन वीट अधिकारी गुन्दियाटगांव से करवायी गयी तो जांच में उक्त सिविल सोयम क्षेत्र भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक सं०-1035/12-1 दिनांक 02.12.2019 के द्वारा पूर्व में भी लिखा गया है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र सिविल सोयम भूमि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ताकि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि- उप जिलाधिकारी, पुरोला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र सिविल भूमि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

o/c